कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14( )2014/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांकः

मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर ।

विषयः–वाईडनिंग एण्ड अपग्रेडेशन ऑफ फलौदी–जैसलमेर सेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एनएच 15 फ्रोम किमी. 163.400 टू 323.857 किमी. इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान रिगार्डिन्ग डायवर्जन ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन जोधपुर एण्ड जैसलमेर फोरेस्ट डिवीजन्स (आवेदित वनक्षेत्र वनमण्डल जोधपुर 74.118 है0 तथा वनमण्डल जैसलमेर 221.615 है0)।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी/राज/06/19/2014/एफसी/931 दि. 21.10.15 एवं शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ 1(68) वन/2014 दिनांक 19.11.15 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 295.733 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एंव 8704 वृक्षों के पातन हेतु कुछ शर्तोधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित शर्तोंधीन सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे। साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाएः–

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
2. मुख्यं वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षैत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें ।

भवदीय,

संलग्नः–उक्तानुसार ।

Sd/-

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

DCF (T) / 2/12

क्रमांकः एफ 14( )2014/एफसीए/प्रमुवसं/7229-33 दिनांकः 1.12.15

प्रतिलिपि निम्न को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1(68) वन/2014 दिनांक 19.11.15 के क्रम में ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतियों की प्रतियां एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 19.11.15 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त सं. 2 की पालना अपने स्तर से करने का कष्ट करे।
3. उप वन संरक्षक, जोधपुर/जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ–साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:–
   (i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
4. Project Director, PIU-Bikaner, PIU Camp, NHAI, F-120, Janpath Shyam Nagar, Jaipur-302019

संलग्नः–उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

E/: Office documents/ final project

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) gormoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / राज0 / 06 / 19 / 2014 / एफ.सी. / 381

दिनाँक: 23.07.2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय: **Widening and Upgradation of Falaudi-Jaisalmer Section of Existing NH-15 from Km. 163.400 to 323.857Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area- Forest division Jodhpur 74.118 ha. and Jaisalmer Forest Division 221.615 ha.)**

सन्दर्भ-- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक-- 28.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अति0 सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(68)वन / 2014, दिनांक 16.10.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्ताव को दिनांक 28.05.2015 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सशर्त स्वीकृति इस आधार पर दी गयी थी कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रकरण की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिऐ गए हैं। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं (वन मण्डल जोधपुर में 2,248 वृक्षों के पातन एवं वन मण्डल जैसलमेर में 6,456 वृक्षों के पातन) कुल 8,704 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन मण्डल जोधपुर में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 148.36 (74.118x2=148.36) हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जाएगी।
3. वन मण्डल जैसलमेर में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 443.23 हे0 (221.615x2=443.23) हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या 0371001010 25225,आई0एफ0एस0 कोड--CORP0000371, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, में जमा की जाएगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक 11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज 1, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक/आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी०, (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रस्ताव के पार्ट III मे मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार वृक्षों के पुर्नस्थापन (Transplantation) हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जा चुकी है।

6. प्रयोक्ता अभिकरण यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना मे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

7. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर०सी०सी० पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,जी०पी०एस० निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नही की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली 110003.
2. निदेशक, आर०ओ०एच०क्यू०, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली 110003
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर राजस्थान 302005 को सूचनार्थ।
4. उप वन संरक्षक, जोधपुर वन मण्डल, जोधपुर, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, जैसलमेर वन मण्डल, जैसलमेर, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, पी०आई०यू० कैम्प ऑफिस,F-120,जनपथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान 302019
7. श्री कमल मिश्रा, तकनीकी अनुभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

(6)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर 'एच', अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: Env: m_env@rediffmail.com, Forest: [illegible]@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/19/2014/एफ.सी./ [illegible]

दिनाँकः [illegible]

सेवा में,

प्रमुख शासन सचिव, वन,
शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः Widening and Upgradation of Falaudi-Jaisalmer Section of Existing NH-15 from Km. 163.400 to 323.857Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area- Forest division Jodhpur 74.118 ha. and Jaisalmer Forest Division 221.615 ha.)

संदर्भ–अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक– एफ14()2014/वसु/प्रमवसं/6134, दिनांक–10.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर [illegible] सचिव, राजस्थान सरकार, [illegible] के पत्रांक प01(68)[illegible]/2014 दिनांक 16.10.2014 को [illegible] द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रस्तावित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.07.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित [illegible] में प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं वन मण्डल जोधपुर में 2,[illegible] वृक्षों के पातन एवं वन मण्डल जैसलमेर में 6456 वृक्षों के पातन) कुल 8,70[illegible] वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन मण्डल जोधपुर में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 148.36 (74.118x2 148.36) हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
3. वन मण्डल जैसलमेर में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 443.23 हे0 (221.615x2 443.23) हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करना होगी।
5. [illegible] के निर्माण [illegible] के दौरान आस पास के क्षेत्र में [illegible] एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों [illegible] स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

251

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट एवं आर०सी०सी० पीलर्स का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, जी०पी०एस० निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को लिखित स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

11. प्रस्ताव के पार्ट-II में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार वृक्षों के पुनर्स्थापन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जा चुकी है।

12. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर आई०आर०सी० (IRC) के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

21/10/15

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली 110003.
2. निदेशक, आर०ओ०एच०क्यू०, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली 110003
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण) वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर 302004 राजस्थान को सूचनार्थ
4. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर वन मण्डल, जोधपुर, राजस्थान
5. उप वन संरक्षक, जैसलमेर वन मण्डल, जैसलमेर, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० पी०आई०यू० कैम्प ऑफिस F-120, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान 302019
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाइल।

21/10/15

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

253

(6)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(68) Forest/2014 Jaipur, dated: 19 NOV 2015

ORDER

Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI Regional Office, Lucknow vide letter No. F.No.8B/Raj/06/19/2014/FC/931 dated 21.10.2015 has conveyed its approval for diversion of 74.118 ha. forest land in district Jodhpur & diversion of 221.615 ha. in Jaisalmer and felling of 8,704 trees for Widening and upgradation of Falaudi-Jaisalmer section of Existing NH-15 from km. 163.400 to 323.857 km in the state of Rajasthan. In pursuance of the above clearance by Govt. of India, State Government hereby accords approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980 with the following conditions:- P.245/c

1. The conditions imposed by MoEF&CC, GoI in their forest clearance date 21.10.2015 will be complied with by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed on the website by State Forest Department as well as by MoEF&CC, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forestry purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

23/11 23/11

Sd/-
(Yogendra Kumar Dak)
Secretary, Forests

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003 -- with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF&CC website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt.of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur – with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aranya Bhawan, , Jaipur – to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests ,Jodhpur.
8. Deputy Conservator of Forest, Jodhpur/ Jaisalmer.
9. Project Director. National Highways Authority of India, 148, Umaid Heritage, Ratanada, Jodhpur-342006.
10. Order file.

18/11/15

(Kumar Swami Gupta)
Officer on Special duty , Forests